



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श0)  
(सं0 पटना 212) पटना, बुधवार 24 मार्च 2021

सं०/एम-4-53/2007/2293/वि०,  
वित्त विभाग

संकल्प  
24 मार्च 2021

विषय:-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15.04.2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31.03.2022 तक करने के संबंध में।

- वर्तमान में सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ₹15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि, जो दिनांक 31.03.2021 तक लागू है, का अवधि विस्तार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.03.2022 तक किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ₹15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति का कार्य अवधि दिनांक 31.03.2022 तक विस्तारित की जाती है। इस निमित्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उक्त संकल्प द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की रूप रेखा, जो निम्नवत् है, यथावत् स्वरूप में कार्य करेगी :-
  - विकास आयुक्त- अध्यक्ष
  - प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
  - प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग- सदस्य सचिव
  - संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव- सदस्य
- निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त वर्णित संकल्प के अनुरूप कंडिका-2 में उल्लेखित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी :-
  - सात निश्चय कार्यक्रम-1 से संबंधित सभी स्कीम
  - सात निश्चय कार्यक्रम-2 से संबंधित सभी स्कीम
  - जल-जीवन हरियाली से संबंधित सभी स्कीम
  - सभी प्रकार के पेयजल योजनाएं।
  - मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क/ग्रामीण पथ योजना।

- (vi) आपदा संबंधित स्कीम/बाढ़ निरोधक योजना (जल संसाधन विभाग)।
  - (vii) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं।
  - (viii) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी संबंधित स्कीम।
  - (ix) केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं वाह्य सम्पोषित स्कीम।
  - (x) अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधित स्कीम।
  - (xi) Covid-19 से संबंधित स्कीम।
  - (xii) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम।
  - (xiii) Skill Development से संबंधित योजनायें
  - (xiv) उक्त क्रमांक-(i) से (xiii) में वर्णित मूल स्कीम के Supporting स्कीम
4. मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, जैसे कि, भवन बन गया हो, उसका furniture, transformer/विद्युतीकरण तथा संपर्क सड़क आदि से संबंधित योजना। इसी तरह विधि व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण।
  5. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ₹15 करोड़ तक की हो, समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  6. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई स्कीमों का स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है।
  7. ₹15 करोड़ तक की नई स्कीम हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 से 6 तक में वर्णित व्यवस्था दिनांक 31.03.2022 तक लागू रहेंगे।
  8. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
**डॉ० एस० सिद्धार्थ,**  
 प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 212-571+10-डी0टी0पी0  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>